भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 260

सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

सार्वजनिक खरीद सुधार और वित्तीय प्रशासन

260. श्री विष्णु दयाल राम:

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

श्रीमती कमलजीत सहरावत:

श्री अनिल फिरोजिया:

श्री खगेन मुर्म:

श्री अभिमन्यु सेठी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आपूर्तिकर्ताओं की दक्षता, पारदर्शिता और सहभागिता में सुगमता लाने के लिए सार्वजनिक खरीद नियमावली और दिशा-निर्देशों में सरकार द्वारा किए गए संशोधन का ब्यौरा क्या है;

(ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सरकारी खरीद में व्यापक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) डिजिटल प्लेटफार्म और मानकीकृत प्रक्रियाओं को अपनाने से खरीद की समय-सीमा और प्रशासनिक विवेकाधिकार में किस प्रकार कमी आई है; और

(घ) क्या सरकार का खरीद सुधारों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए मापने योग्य प्रदर्शन मानदंड या सार्वजनिक रिपोर्टिंग तंत्र शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2024-25 में तीन प्रापण नियमावलियों (मैनुअलों), अर्थात् माल के प्रापण के लिए नियमावली (मैनुअल) (दूसरा संस्करण, 2024), परामर्शी सेवाओं के प्रापण के लिए नियमावली (मैनुअल) (दूसरा संस्करण, 2025), कार्यों के प्रापण के लिए नियमावली (मैनुअल) (दूसरा संस्करण 2025) को संशोधित किया है। वर्ष 2025 में गैर-परामर्शी सेवाओं के प्रापण के लिए एक नई नियमावली (मैनुअल)

भी लागू की गई थी। ये नियमावलियां (मैनुअल) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की वेबसाइट @ doe.gov.in पर उपलब्ध हैं।

संशोधित नियमावली (मैनुअल) आपूर्तिकर्ताओं के लिए व्यापार में सुगमता और प्रापण पेशेवरों के लिए स्पष्टता पर केंद्रित हैं। विभिन्न संस्थाओं पर प्रयोज्यता की सीमा को स्पष्ट करना, प्रापण का वर्गीकरण, हितों का टकराव, ब्याज रहित अग्रिम भुगतान, प्रदर्शन प्रतिभूतियों के नए प्रपत्र, प्रापण की आउटसोर्सिंग, बोलियों का स्वतः विस्तार, मूल्य भिन्नता और परिसमापन क्षतिपूर्ति पर सीमा लगाना, कार्टेल गठन का शमन करना, रिवर्स नीलामी, दर अनुबंध, एल1 बोलीदाताओं द्वारा वापसी, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी), प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रापण आदि जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को फिर से लिखा गया है। प्रदर्शन सुरक्षा में कटौती, सार्वजनिक प्रापण से संबंधित वित्तीय सीमाओं में वृद्धि, परिसमापन क्षतिपूर्ति में कटौती और घरेलू सार्वजनिक प्रापण के अनुबंधों में मध्यस्थता और सुलह के लिए दिशानिर्देश आदि से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।

(ख): भारतीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उनकी बाजार पहुंच और संपर्कों में सुधार करते हुए, भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 153(ii) के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति आदेश, 2012 को अधिसूचित किया था। यह नीति केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से 25% वार्षिक प्रापण अधिदेशित करती है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% प्रापण शामिल है।

व्यापार संबंधी लेन-देन लागत को कम करने के लिए, एमएसई को नि:शुल्क निविदा सेट उपलब्ध कराकर, एमएसई को बयाना राशि (ईएमडी) के भुगतान से छूट प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से एमएसई से प्रापण करने के लिए 358 वस्तुओं को आरक्षित किया गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति आदेश, 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी में सहायता के लिए दिनांक 08.12.2017 को एमएसएमई एसएएमबीएएनडीएच पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल सीपीएसई की आवश्यकता से संबंधित आवश्यक जानकारी और एमएसई से उनके द्वारा किए गए प्रापण के विवरण को अपलोड करके एमएसई और सीपीएसई के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है और वास्तविक समय के आधार पर प्रापण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 04 अनुपालनों को एक में विलय करके दिनांक 11 अगस्त, 2021 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 3237(ई) के माध्यम से एमएसई के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति आदेश, 2012 से संबंधित व्यवसाय और नागरिकों पर अनुपालन भार को कम कर दिया है, जिससे अनुपालनों की संख्या 07 से घटकर 04 हो गयी है। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई)

को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के माध्यम से प्रापण के लिए एमएसई के विकास पर केंद्रित विक्रेता विकास कार्यक्रमों या क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करके उपयुक्त विक्रेताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई को सहायता प्रदान करने के लिए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर जेम के साथ अनुवर्ती संचार किया जाता है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति आदेश, 2012 के प्रावधानों को व्यय विभाग द्वारा जारी प्रापण नियमावलियों (मैनुअल) जैसे माल के प्रापण के लिए नियमावली (मैनुअल) - दूसरा संस्करण, 2024, परामर्शी सेवाओं के प्रापण के लिए नियमावली (मैनुअल) (दूसरा संस्करण, 2025) और गैर-परामर्शी सेवाओं के प्रापण के लिए नियमावली (मैनुअल), 2025 में भी शामिल किया गया हैं।

(ग): डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने से प्रापण की समयसीमा और प्रशासनिक विवेकाधिकार में कमी आई है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (सीपीपीपी) में, निविदा प्रकाशन (खुली/सीमित) से लेकर वित्तीय मूल्यांकन/संविदा प्रदान करने तक लगने वाले समय धीरे-धीरे 2021-22 में 64 दिनों से घटकर 2025-26 में 37 दिन हो गया है।

डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने भी व्यापक प्रचार, भागीदारी की गुमनामी और निविदा प्रकाशन लागत में कमी के कारण बोलीदाताओं की भागीदारी में वृद्धि की सुविधा प्रदान की है, जिससे प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।

(घ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।
